

आदेश पत्रक

अभिलेख संख्या 1917 का नियम 129

सक हिला धनबाद

आदेश पत्रक संख्या

सक संख्या

516/17

पारा 144 35 4

दिनांक

परमेश्वरजी का आदेश और हस्ताक्षर

273-17


द. प्र. सं. की धारा-144 के तहत प्रथम पक्ष सईद अहमद पिता-स्व० नजीर अहमद ता०- भितिया डोना-वैरटांड थाना-गोविन्दपुर जिला-धनबाद को ओर से एक आवेदन पत्र दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन में किया है कि प्रथम पक्ष के अनुसूचि में अंकित भूमि को द्वितीय पक्ष जोर-जबरदस्ती घेरना/निर्माण करना चाहते है, जिसे मना करने पर विपक्षी गण नहीं मानते है जितने पक्षकारों के बीच शांतिपूर्ण होने की संभावना बनी हुई है। दाखिल आवेदन का मैंने अवलोकन किया तथा विश्व-अधिवक्ता को तृना-अवलोकनी-परांत मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच शांतिपूर्ण होने की संभावना बनी हुई है जिसे तुरंत रोकना जानना नितान्त आवश्यक है।


अतः उभय पक्षों के विरुद्ध द. प्र. सं. की धारा-144 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। कार्रवाई प्रयन्त 60 ता० 1 दिनो तक प्रश्नगत भूमि पर शांति बक्षेत्था कायम रखने हेतु पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि 7 4 17 को 10.30 बजे पूर्वा० मे मेरे न्यायालय में सिद्धित रूप से उपस्थित होकर अपने अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं धारा-144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा आपके विरुद्ध तन्मुष्ट किया जाय।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा-पण्डुकी, मौजा नं०-90, बाता नं०-92, प्लोट नं०-548, 549, 550, 553, 555 एवं 556 रकबा-1.37 एकड़ एवं गैर आबाद बाता नं०-114, प्लोट नं०-553 ।

लेखापित एवं लोपित


 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 धनबाद।


 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 धनबाद।